

आर. टी. आई. मामला
स्पीड पोस्ट द्वारा, आज ही

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(बजट अनुभाग) वित्त प्रभाग

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.
दिनांक: 04.04.2015

फा.सं.1-21/2005-06/बजट (आर. टी. आई.)/खंड-5 (पार्ट फाइल)

सेवा में,

डॉ. वी. के. बंसल,
उप-संकायाध्यक्ष/सी पी आई ओ
शैक्षिक अनुभाग
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली.


विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 01.01.15 के आर. टी. आई. आवेदन का अवलोकन करें जोकि श्री एस. एन. शर्मा अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के दिनांक 30.01.15 के पत्र संख्या 35/आर. टी. आई./13019/1बी/2014/एम ई-1 द्वारा अग्रेषित शैक्षिक अनुभाग के दिनांक 20.02.15 के पत्र संख्या आर. टी. आई./शैक्षिक/161/2014 के माध्यम से केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (वित्त) के पत्र संख्या 340/आर. टी. आई./2014/सी पी आई ओ (वित्त) के द्वारा दिनांक 10.03.15 को प्राप्त हुआ है। वित्त विभाग बजट अनुभाग, वित्त प्रभाग से संबंधित नहीं है। तथापि, संस्थान को शैक्षिक, अनुसंधान एवं रोगी उपचार हेतु 'योजना' तथा 'गैर-योजना' दोनों के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से एकमुश्त राशि प्राप्त होती है।


वित्त एवं लेखा प्रभाग के अपीलीय प्राधिकारी श्री विजय सिंह, वित्त सलाहकार, भूतल, प्रशासनिक खण्ड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली हैं।

भवदीय,


(सतीश खुराना)

वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी तथा
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
वित्त प्रभाग, अ.भा.आ.सं.

- प्रतिलिपि: - 1. श्री राजीव कुमार खरे, गली नंबर-3, प्रेम विहार कॉलोनी, प्रेमनगर, सतना, मध्य प्रदेश (भारत)
2. श्री एस. एन. शर्मा, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (फाइल संख्या 35/आर. टी. आई. /13019/1बी/2014/एम. ई-1 दिनांक 30.01.15)
3. श्री सिंधु पाटिल, अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली (फा.सं.ए. 6001/एफ टी एस 16201/2015-आर. टी. आई. प्रकोष्ठ दिनांक 27.01.2015)
4. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (वित्त प्रभाग) का कार्यालय, (एम्स)
5. कंप्यूटर सुविधा-इस अनुरोध के साथ कि इसे एम्स की वेबसाइट पर आर. टी. आई. के तहत अपलोड किया जाए।


17.4.2015